



हकीर एवकि नक ङुल/कु दक , द वकफकड ि फज-';

डॉ० राजेश कुमार यादव

असि०प्रो० अर्थशास्त्र

रमाबाई राजकीय महिला स्ना० महाविद्यालय

अकबरपुर, अम्बेडकरनगर

आपदा का तात्पर्य कोई साधारण घटना नहीं है बल्कि यह असमायोजित एवं असहनीय विपदा है, जो जनमानस को गम्भीर से गम्भीर नुकसान पहुँचाती है। दुनिया के लगभग हर भाग में आपदाएं मिलती हैं अथवा होती हैं। आपदायें दो प्रकार की होती हैं। प्रथम आपदा प्राकृतिक आपदा होती है, जबकि दूसरी आपदायें मानवीकृत होती हैं। मानवीकृत आपदायें हों या प्राकृतिक आपदायें दोनों में जनमानस की भारी क्षति होती है। विश्व बैंक की प्राकृतिक खतरे और आपदायें शीर्षक के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाढ़ और तूफान दुनिया भर में आते हैं, जबकि अफ्रीका में अक्सर सूखा पड़ता रहता है। दुनिया के जो भू-भाग बार-बार पड़ने वाले सूखे और बाढ़ से प्रभावित होते हैं, वही पर दुनिया की अधिकांशतः वह आबादी रहती है जो भूख और गरीबी से ग्रसित है। सम्भावना है कि जलवायु परिवर्तन से यह स्थिति और गम्भीर हो सकती है। इसलिए इस बात की सख्त जरूरत है कि प्राकृतिक आपदाओं के निवारण, शमन और प्रबन्धन के लिए प्रभावशाली और व्यापक कदम उठाये जायें। ये आपदायें अक्सर आती हैं।

भारत के परिदृश्य में बाढ़, समुद्री तूफान और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदायें देश के किसी-न-किसी भाग में आती रहती हैं। क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है। देश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ कई प्रकार की आपदाएं आती हैं और पूरे साल कोई न कोई आपदाएं चला करती हैं जैसे-भूकम्प, ओलावृष्टि, बर्फीले तूफान और भूस्खलन भारत के कुछ भागों में आते रहते हैं लेकिन इनसे होने वाली तबाही इस बात पर निर्भर करती है कि वह जगह इनसे कितनी प्रभावित होती है। 1980 से 2010 तक के बीच भारत में प्राकृतिक आपदायें आई हैं।

सूखा	—	7	बाढ़	—	184	तूफान	—	92
भूकम्प	—	16	कीटसंकमण-		01	ज्वालामुखी-		02
महामारी-56			बड़े पैमाने पर सूखा-01			अति गरमी-		38
			बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि-34					

जिन विकसित देशों में प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना देने वाले आधुनिक तन्त्र और राहत कार्यक्रम मौजूद हैं। वहाँ इनके कारण होने वाली तबाही कम हो जाती है लेकिन जिन देशों में तैयारी कम होती है और राहत कार्यक्रम काफी नहीं होते वहाँ प्राकृतिक आपदाओं से बहुत विनाश होता है। भारत में अन्य विकासशील देशों के मुकाबले प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान-माल का नुकसान काफी ज्यादा होता है।

विश्व बैंक का एक अनुमान, भारत में प्राकृतिक आपदाओं के चलते देश के (जी०डी०पी०) सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत के बराबर नुकसान होता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन आपदाओं का प्रभाव गरीबों पर उनके अनुपात से ज्यादा पड़ता है। अतः भारत ने इस प्रकार की आपदाओं से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र को एजेन्सी, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण नीति (यू.एन.आई.एस. डी.आर.) ने 2005 में प्राकृतिक आपदाओं से सम्बन्धित ह्यूगो कार्यवाही रूपरेखा तैयार की, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किये हैं। इसमें आपदा जोखिम कम करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, विकास नियोजन और 05 प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाए जाने की पैरवी की गयी है, जो निम्न प्रकार से है:-



1 jktufrd ifdz k& इसके अन्तर्गत सभी देशों को ऐसी नीतियाँ और कानून तथा संस्थान विकसित करने हैं जो आपदा जोखिम कम करने में सहायक हैं। इस काम के लिए देश द्वारा ही संसाधन निर्धारित करें और राहत पहुँचाने की तैयारी करें जिससे जन-मानस को अधिक से अधिक आपदा प्रबन्धन हो सके।

2 rduhdh ifdz k& इसके अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से होने वाली तबाही के आकलन, पहचान और मानीटरिंग के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाये और पूर्व सूचना तन्त्र विकसित किया जाये जिससे आपदाओं से निबटने का इन्तजाम हो सके।

3 l kelft d "kfk.kd ifdz k& इसका उद्देश्य नागरिकों में समझदारी और हर स्तर पर लचीलापन तथा सुरक्षा की भावना विकसित करना है। एन.सी.सी., स्काउट गाइड एवं छोटे-छोटे कैम्प स्कूलों कालेजों एवं महाविद्यालयों तथा सामाजिक नियंत्रण वाली जगहों में कैम्प लगाकर बच्चे, नौजवानों, स्त्रियों एवं बुजुर्गों को भी आपदा नियंत्रण के लिये टिप्स दिये जायें जिससे आपदा में अधिक जन-धन की हानि न हो सके।

4 fodkl ifdz k& इसका उद्देश्य विकास के हर सम्बन्ध में आपदा जोखिम का एकीकरण और विकास के साथ नियोजन तथा कार्यक्रमों को बनाना होता है।

5 ekuoh; ifdz k& इसके अन्तर्गत आपदा के समय कार्यवाही और बचाव का काम करना शामिल है, जिससे किसी भी प्रकार के प्रबन्धन में कमी न हो सके। व्यक्ति पूर्णतया तन्मयता के साथ राहत बचाव कार्य में शामिल हो।

भारत सरकार ने अगस्त 1990 से ही इनमें से कुछ पर तब काम शुरू कर दिया था, जब जे.सी.पंथ (भारत सरकार के पूर्व कृषि सचिव) तथा कुछ विशेषज्ञों और अधिकारियों को मिलाकर एक आपदा प्रबन्धन उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गयी थी। इस आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में संस्थागत सुधार के उपाय, सुझाव की जिम्मेदारी सौंपी गयी। भारत के संघीय ढाँचे को ध्यान में रखते हुए नए समिति को यह अधिकार भी दिया गया कि वह राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तरों पर व्यापक योजनाएं तैयार करें। इसके गठन के कुछ ही समय बाद समिति के कार्यक्षेत्र में वृद्धि की गई और इसमें मानवकृत आपदायें भी शामिल कर ली गईं। इनमें रासायनिक, औद्योगिक, परमाणु और अन्य प्रकार की आपदाएं शामिल हैं।

आपदा प्रबन्धन के विचार में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 26 दिसम्बर 2004 को हिन्द महासागर में सुनामी ने दस्तक दी। इसका भारत पर जबरदस्त असर पड़ा। सात राज्य प्रभावित हुए। इसके अलावा 2015 में नेपाल से उठा भूकम्प भारत के अनेकों क्षेत्रों में भारी जान-माल का नुकसान एवं जनमानस को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत कर दिया। उसी समय यह शुरू किया गया कि चेतावनी, तालमेल और आपदा प्रबन्धन के कार्यों में भारी अन्तर है। 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम बन जाने के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना की गयी। उपर्युक्त अधिनियम में राज्य स्तर और जिला स्तर के आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों के गठन की व्यवस्था है इसलिए अब देश में आपदा प्रबन्धन की व्यवस्था के लिए कानूनी आधार भी प्रदान कर दिया गया है और इसके लिए नियम और जिम्मेदारी तय कर दी गयी है। इस अधिनियम में आपदा में कमी लाने और राहत कार्यों के लिए वजट आवंटन की भी व्यवस्था कर दी गयी है। यह संरचना एवं अधिनियम पूर्णरूप से तैयार है। ये राज्य एवं केन्द्र व्यवस्था पर निर्भर करते हैं कि वे इसकी व्यवस्थाओं के अनुसार प्रभावशाली तरीके से आपदाओं के कारण लोगों और देश पर पड़ने वाले कुप्रभाव को कम करने के प्रयास करें।

यह सर्वविदित है कि किसी भी आपदा के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग गरीब वर्ग के होते हैं। अक्सर उन्हें जान-माल का नुकसान उठाना पड़ता है। उनकी जीविका के साधन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपदाओं के कारण सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिन्ता जाहिर की जा रही है। यह और भी चिन्ता की बात है कि हम सर्वसमावेशी



विकास का लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आपदा जोखिम कम करने में कामयाबी नहीं मिलती तब तक यह सम्भव नहीं होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय आवश्यक होने चाहिए जैसे—

- विकास के कार्य में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को मुख्य धारा में लाना।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए पूर्व चेतावनी व्यवस्था को प्रभावशाली बनाना।
- जागरूकता और तैयारी बढ़ाना।
- राहत और बचाव तन्त्र को मजबूत बनाना।
- बेहतर पुनर्वास और पुनर्निर्माण होने चाहिए।

भारतीय आपदा प्रबन्धक का एक नया तरीका था समीकरण बनाना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने विजन 2020 में आपदा प्रबन्धन को मजबूती से रखा था। उनका मानना था कि बेरोजगारी और युवा सशक्तिकरण चरम सीमा पर है। इन्हें सही दिशा में लगाया जाये। ठीक उसी प्रकार आपदाओं से बचने के लिए प्रबन्धन पर जोर दिया। बरसात के पानी को एकत्र करना, ग्रामीण क्षेत्र में नये तालाबों का निर्माण, नदियों तथा नहरों में बड़े एवं छोटे बाँधों के माध्यम से पानी को रोकना, इसके अलावा 30 नदियों को उनकी सहायक नदियों, नहरों आदि के द्वारा बड़े स्तर वाले जल को छोटी नदियों में ले जाना, जहाँ अधिक बाढ़ आती है, वहाँ का पानी सूखे इलाकों में ले जाना आदि इन योजनाओं से आपदाओं का कुछ निदान किया जा सकता है। बाढ़ आपदा आने के बाद जनमानस में अनेक आपदायें आती हैं जैसे—पीने के पानी की विपदा, सड़े शवों से बदबू आना जिससे अनेक बीमारियाँ आती हैं। संक्रमण एवं हैजा आदि विपदायें आती हैं। ऐसी सरकार इन आपदाओं से बचने के लिए अनेक राहत कार्य एवं मेडिकल मुहैया कराती है।

जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्रीय, शहरी पुनर्निर्माण मिशन में देश के चुनिन्दा बड़े शहरों में मूल सुविधाओं के सशक्तिकरण की व्यवस्था की। राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल का उद्देश्य गाँवों में पेयजल की व्यवस्था करना है। किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पेयजल और खाद्य सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने पर तुरन्त ध्यान देना होता है। इस काम के लिए विभाग ने अपने परिव्यय का कुछ प्रतिशत निर्धारित किया हुआ है, जिसका इस्तेमाल आपदा के समय नलकूप आदि बनाने के लिए किया जाता है।

इसी प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र का एक प्रमुख कार्यक्रम है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। हलॉकि हमारा महामारियों से निपटने का तजुर्बा बेहतर रहा है और इसके लिए हमारे पास अस्पताल, नजर रखने वाला तन्त्र तथा ट्रामा केयर मौजूद है, फिर भी बड़े पैमाने पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपदा जोखिम घटाने के उपायों को स्कूलों और कालेजों के पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चों में सुरक्षा की संस्कृति और निवारक उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। अगले पाँच वर्षों में उपयुक्त पूर्व चेतावनी तंत्र की स्थापना करके सम्भवतः इस दिशा में सबसे प्रभावशाली कदम उठाया जा सकता है, जहाँ हमने सुनामी की पूर्व चेतावनी देने की अपनी क्षमता में वृद्धि की है। वहीं अन्य क्षेत्रों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मौसम की भविष्यवाणी करने में पिछले पाँच वर्षों के दौरान काफी सुधार हुआ है लेकिन इसके लिए जरूरी उपकरणों और जनशक्ति में काफी ज्यादा पूँजी निवेश की जरूरत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भू-विज्ञान और अंतरिक्ष तथा आई.एम.डी.आई.एन.सी.ओ.आई.एस., एन.आर.एस.सी और एस.ओ.आई. जैसे संगठनों को आधुनिक उपकरणों और मानव कौशल से लैस करने की जरूरत है ताकि वे आपदाओं की सटीक जानकारी दे सकें। इसके अलावा इन प्रयासों के साथ ही आई.सी.एस.आर. आई.सी.एम.आर.सी.डब्ल्यू.सी.जी.एस.आई आदि वैज्ञानिक संगठनों और विभागों से भी सक्रिय समर्थन प्राप्त करना होगा। आंकड़ों के विश्लेषण, सम्प्रेषण और प्रसार-प्रचार के लिए एक राष्ट्रीय मंच तैयार करना जरूरी है। जैसे— भारी वर्षा सम्बन्धी आंकड़ों को नदी प्रवाह के आंकड़ों के साथ संयोजित करना जरूरी है ताकि बाढ़ के बारे में पूर्व सूचना मिल सके।



वकी नक्वा दस जकादके धि इ/कल फुद 0; 0LFkk& राज्य स्तर पर आपदाओं से निपटने की पूर्व तैयारियों, रोकथाम तथा प्रबन्धन की स्थिति की समीक्षा एवं आपदा की स्थिति से निपटने के लिए त्वरित निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन अधिकरण काम करता है, जिसकी सामान्य समय में प्रत्येक 06 माह में एक बार समीक्षा की जाती है। इस प्राधिकरण में गृहमंत्री, वित्तमंत्री, आपदा प्रबन्धन मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, सिंचाई मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं उपर्युक्त विभागों के प्रमुख शासन सचिव सदस्य तथा प्रमुख शासन सचिव इसके सदस्य होते हैं। यह समिति आपदा प्रबन्धन की मंत्री मण्डलीय समिति के नाम से जानी जाती है, आदि सभी मंत्रियों के माध्यम से आपदा से निपटा जा सकता है। भारत में 1972 से लेकर 2011 तक कौन सी आपदायें आयी हैं और किन क्षेत्रों में प्रभावित रहीं हैं, जिनका विश्लेषण हम नीचे करेंगे।

हकीर एािअक वकीन; 1972 Is 2011 रद

1972 में भयंकर सूखा पड़ा। देश का अधिकांश भाग इससे ग्रसित हुआ जबकि 1977 में समुद्री तूफान के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश में प्रलय आयी। 1987 में पुनः सूखा पड़ा और देश के 15 राज्य सूखा ग्रसित हुए। लोगों के पास जीने का मकसद नहीं बचा। देश कुछ संभल पाये कि 1993 में महाराष्ट्र के लातूर माराठबाड़ा क्षेत्र में भूकम्प आ गया। 1999 में उड़ीसा में समुद्री तूफान और 2001 में शपर, भुज, भचाऊ, अंजर, अहमदाबाद और सूरत में भूकम्प ने पैर उखाड़ दिये। जब तक देश संभलता कि 2004 में भयंकर **Vh** सूनामी ने अपना कहर जमा दिया। इस समय माननीय पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंम्हाराव का निधन हुआ और तमिलनाडु, केरल, आन्ध्रप्रदेश, पडुचेरी और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के इलाके विध्वंस हो गये। अतः 2005 में महाराष्ट्र के बाद कश्मीर में भूकम्प, 2008 में उत्तर बिहार, कोषी में बाढ़ और तमिलनाडु में निशा समुद्री तूफान आया। अभी देश बाढ़ की चपेट से संभल नहीं पाया कि 2009 में 10 राज्यों के 252 जिले सूखाग्रस्त हो गये। 2010 में भारत उत्तरी के सीमा लेह में बादल फटे जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र प्रभावित हुआ। इसके बाद 2011 में सिक्किम में भूकम्प जिससे पूर्वी राज्य एवं नेपाल ग्रसित हुआ। इसी समय तमिलनाडु और पडुचेरी में समुद्री तूफानों ने कहर ढा दिया।

इस प्रकार भारत में आपदा के समय परम्परागत रूप से हम राहत और बचाव के लिए तदर्थ आधार पर तुरन्त कदम उठाते हैं। राहत और बचाव के कार्य तदर्थ नहीं रह सकते बल्कि इनकी सौंच-समझकर योजनाएं बनाने की जरूरत है। हमें ऐसे मामले में सौंच-समझकर योजनाएं बनाने और हर तरह की घटनाओं का सामना करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का ध्यान रखना होगा जिनमें यह तय कर दिया गया हो कि एक खास परिस्थिति में किसको किस तरह का योगदान करना होगा। अगर राष्ट्रीय, राज्य, जिला नगर पालिका और पंचायत स्तरों पर प्रभावशाली तंत्र मौजूद हो तो बड़े पैमाने पर जान-माल का बचाव हो सकता है और नुकसान कम किया जा सकता है।

आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण भी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं। हलॉकि इस सन्दर्भ में चर्चा नहीं की जा रही है। इसलिए महत्वपूर्ण सन्देश यह है कि हर तरह के खतरे, आपदा नहीं होते। अगर इनसे बचाव के लिए बेहतर ढंग से नियोजन तैयारी और राहत व बचाव के साधन जुटा लिए जाएं तो इस प्रकार की आपदाओं से होने वाले नुकसान से निकट भविष्य में काफी हद तक बचा जा सकता है। सही सौंच, समय पूर्व चिन्तन और राहत प्रयास ही आपदा प्रबन्धन है।

I k& योजना 2012 सितम्बर

d#(k- 2007 नवम्बर

nsud tkxj.k& कानपुर संस्करण अगस्त 2009

;kst uk& 2010 जुलाई